



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022021-224850
CG-DL-E-01022021-224850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/माघ 9, 1942

No. 419]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

का.आ. 456(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 के बीच में एक कंसाइनमेंट यानी “ टी जी स्टेटर ” भेल हरिद्वार, उत्तराखंड से यदाद्री परियोजना, तेलंगाना तक सड़क यातायात हेतु जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है—

अनुसूची

1. मै. अग्रवाल कैरियर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई उपरोक्त यातायात के लिए मै. ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, मुम्बई के लिए यातायात कम्पनी है।

2. उपरोक्त एक यातायात के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र प्राईम मूवर्स ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:

क्र०सं०	ट्रेक्टरों का पंजीकरण संख्या	मेक / क्षमता
1.	एचआर 55 एम 6957	वोल्वो — 400 एचपी
2.	एचआर 55 एन 3549	वोल्वो — 400 एचपी
3.	एचआर 55 एन 3558	वोल्वो — 400 एचपी
4.	एचआर 55 एस 0489	वोल्वो — 400 एचपी
5.	एचआर 55 एस 4809	वोल्वो — 500 एचपी

6.	एचआर 55 वी 0686	वोल्वो – 400 एचपी
7.	एचआर 55 वी 8875	वोल्वो – 400 एचपी
8.	एचआर 63 सी 7527	स्कैनिया – 580 एचपी
9.	एचआर 63 सी 1042	वोल्वो – 440 एचपी
10.	एचआर 63 सी 9323	वोल्वो – 440 एचपी
11.	एचआर 55 ई 9150	वोल्वो – (400 एचपी)
12.	एचआर 55 एच 1488	वोल्वो – (520 एचपी)
13.	एचआर 55 के 9219	वोल्वो – (520 एचपी)
14.	एचआर 55 एल 1965	वोल्वो – (520 एचपी)
15.	एचआर 55 एम 6078	वोल्वो – (400 एचपी)
16.	एचआर 63 डी 9960	वोल्वो – (500 एचपी)
17.	एचआर 55 ए डी 8005	वोल्वो – (460 एचपी)
18.	एचआर 55 ए डी 6594	वोल्वो – (460 एचपी)

3. उपरोक्त एक यातायात के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:

क्रम सं०	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	ट्रेलरों में धूरियों की संख्या	ट्रेलरों में पहियों की संख्या	ट्रेलरों का स्वीकृत कुल सकल भार पंजियन प्रमाण-पत्र के अनुसार (टनों में)
1.	एमएच 43 यू 9271	4	32	72
2.	एमएच 43 यू 9274	4	32	72
3.	एचआर 55 क्यू 9853	4	32	72
4.	एचआर 55 पी 7273	4	32	72
5.	एचआर 55 पी 8004	4	32	72
6.	एमएच 43 यू 9272	6	48	108
7.	एमएच 43 यू 9273	6	48	108
8.	एचआर 55 पी 7276	6	48	108
9.	एचआर 55 क्यू 9852	8	64	144
10.	एचआर 55 पी 7277	8	64	144
11.	एमएच 46 एच 1590	6	48	108
12.	एमएच 46 एच 1591	6	48	108
13.	एमएच 46 एच 1588	4	32	72
14.	एमएच 46 एच 1589	4	32	72
15.	एच आर – 55 एक्स – 1194 (एसपीएलआईटी)	4	32	72
16.	एच आर – 55 एक्स – 1666 (एसपीएलआईटी)	4	32	72

4. वाहन और भार विन्यास: लदी हुई स्थिति में कुल सकल भार एवं कन्साइनमेंट का माप निम्नलिखित होगा :-

खाली भार (टन)	कन्साइनमेंट का भार(टन)	धूरियों का कुल सकल भार	कन्साइनमेंट का कुल माप (एम.एम. में) (लम्बाई x चौड़ाई एवं लम्बाई में धूरियों को जोड़ने का विवरण
---------------	------------------------	------------------------	--

			चौड़ाई X उचाई)	
208 टन	426.26 टन	674.26 टन	10225 X 5104 X 4841	16+16 धूरी को ट्रेटेक निर्मित गिरडर ब्रीज के साथ लम्बाई में जोड़ा जाएगा एवं कंसाईन्मेंट गिरडर ब्रीज के साथ लादा जाएगा (32 धूरी पंक्ति के बराबर एक समानान्तर में)।
84 टन	466.26 टन	550.26 टन	10225 X 5104 X 4841	1+1/2 धूरी प्रत्येक पंक्ति में, 16 धूरी पंक्तियां (24 धूरी पंक्ति के बराबर एक समानान्तर में) एवं 1+1/2 धूरियों को चौड़ाई में जोड़ा जाएगा (एक धूरी पंक्ति में 12 टायर)।

5. उपर्युक्त छूट इन शर्तों के अधीन है:-

(i) उपरोक्त कन्साईन्मेंट के यातायात हेतु विशेष रास्ता भेल हरिद्वार, उत्तराखंड से यदाद्री परियोजना, तेलंगाना निम्नानुसार है: -

नीचे के रूप में सड़क मार्ग से मार्ग नंबर 1 -

भेल हरिद्वार - रुड़की - मुजफ्फरनगर - मेरठ - गाजियाबाद - अलीगढ़ बाईपास - हाथरस - आगरा - भरतपुर - जयपुर - किशनगढ़ - नसीराबाद - भीलवाड़ा - चित्तौड़गढ़ - उदयपुर - पिंडवाड़ा - अबू रोड - पालनपुर - डिसा - थराद - सुगम - सांखियाली - गाँधीधाम - मुंडाली - 1603 कि.मी.।

या

नीचे के रूप में मार्ग संख्या 2 से मार्ग -

भेल हरिद्वार - रुड़की - मुजफ्फरनगर - मेरठ - गाजियाबाद - अलीगढ़ बाईपास - हाथरस - आगरा - भरतपुर - जयपुर - किशनगढ़ - नसीराबाद - भीलवाड़ा - चित्तौड़गढ़ - उदयपुर - पिंडवाड़ा - अबू रोड - पालनपुर - डिसा - थराद - सुगम - सांखियाली - गाँधीधाम - कांधली पोर्ट - 1681 कि.मी.।

नीचे के रूप में समुद्र के द्वारा रूट नंबर 3 -

कांडला पोर्ट, गुजरात से कृष्णापटनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश तक जहाज या बजरा।

नीचे के रूप में सड़क द्वारा मार्ग संख्या 4 -

कृष्णापटनम बंदरगाह - नेल्लोर - ओंगोले - मेदरमेतला - अदंकी - नेकरिकल्लू - पिदुगुरल्ला - वडापल्ले - दमरचर्ला नलगोंडा तेलंगाना यदादरी तेदु - दूरी = 357 किलोमीटर।

(ii) लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बल्लियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।

(iv) केवल उपरोक्त फेरे के लिए ट्रेलरों को लम्बाई एवं चौड़ाई में जोड़ने की अनुमति है।

(v) मै. अग्रवाल कैरियर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई को वाहन के प्रत्येक आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम-से-कम दस दिन पूर्व राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्राधिकारी/विशेष अधिकारी को देनी होगी।

(vi) किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो लदे हुए वाहनों को उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

(vii) मै. अग्रवाल कैरियर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई को बड़े आकार के कार्गो को घ्यान के रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।

- (viii) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुँचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।
- (ix) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (x) ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xi) सड़कों अथवा सड़क ढांचों/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्तियों का ऐसे वाहनों के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षति के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए मै. अग्रवाल कैरियर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई जिम्मेदार होगी।
- (xii) मै. अग्रवाल कैरियर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगी जो इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xiii) मै. ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, मुम्बई देखेगी कि उपरोक्त फेरों में काम आने वाले सारे वाहनों का सड़क कर दे दिया गया है एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा कवर, राष्ट्रीय परमिट एवं पी यू सी प्राप्त कर लिए गये हैं।
- (xiv) ट्रेलरों के यातायात हुतु लम्वाई को जोड़ने के पश्चात यदि समायोजन की चौड़ाई सड़क की चौड़ाई से अधिक है तो राज्य सरकारों/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से परामर्श कर बाई पास बनाना या अन्य उपाय किए जाएंगे।
- (xv) ट्रेलरों एवं प्राईम मूवर्स के पंजीकरण पुस्तिका में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही महाराष्ट्र एवं हरियाणा राज्यों में पंजीकृत हैं।
- (xvi) किसी भी अन्य वाहन मालिकों से लिए वाहनों एवं वाहनों के पाटर्स के संबंध में उत्पन्न मुद्दों का दायित्व मै. अग्रवाल कैरियर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई का होगा।
- (xvii) कंसाईन्मेंट के परिवहन के दौरान किसी भी प्रकृति का कोई भी उठे मुद्दे के लिए मै. अग्रवाल कैरियर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई जिम्मेवार होगा।

अमित वरदान, संयुक्त सचिव,

[सं.आर.टी-11042/02/2021 – एम.वी.एल.]

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2021

S.O. 456(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for transportation of one TG Stator during the period from January, 2021 to December, 2021 from BHEL Haridwar, Uttarakhand to Yadadri Project, Telengana by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Agarwal's Carriers Corporation of India, Mumbai is the transporter of M/s All Cargo Logistics Ltd., Mumbai for the aforesaid movements.
2. The following independently registered Prime Movers will be utilized in the above movements:-

Sl. No.	Registration No. of Trailers	Make/Power
1.	HR 55 M 6957	Volvo – 400 HP
2.	HR 55 N 3549	Volvo – 400 HP
3.	HR 55 N 3558	Volvo – 400 HP
4.	HR 55 S 0489	Volvo – 400 HP
5.	HR 55 S 4809	Volvo – 500 HP

6.	HR 55 V 0686	Volvo – 400 HP
7.	HR 55 V 8875	Volvo – 400 HP
8.	HR 63 C 7527	Scania – 580 HP
9.	HR 63 C 1042	Volvo – 440 HP
10.	HR 63 C 9323	Volvo – 440 HP
11.	HR 55 E 9150	Volvo - (400 HP)
12.	HR 55 H 1488	Volvo - (520 HP)
13.	HR 55K 9219	Volvo - (520 HP)
14.	HR 55 L 1965	Volvo - (520 HP)
15.	HR 55 M 6078	Volvo - (400 HP)
16.	HR 63 D 9960	Volvo - (500 HP)
17.	HR 55 AD 8005	Volvo - (460 HP)
18.	HR 55 AD 6594	Volvo - (460 HP)

3. The following independently registered Hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

Sl. No.	Registration No. of Trailers	No. of Axles in Trailers	No. of Tyres in Trailers	GVW sanctioned/ mentioned in RC of Trailers (in Ton)
1.	MH 43 U 9271	4	32	72
2.	MH 43 U 9274	4	32	72
3.	HR 55 Q 9853	4	32	72
4.	HR 55 P 7273	4	32	72
5.	HR 55 P 8004	4	32	72
6.	MH 43 U 9272	6	48	108
7.	MH 43 U 9273	6	48	108
8.	HR 55 P 7276	6	48	108
9.	HR 55 Q 9852	8	64	144
10.	HR 55 P 7277	8	64	144
11.	MH 46 H 1590	6	48	108
12.	MH 46 H 1591	6	48	108
13.	MH 46 H 1588	4	32	72
14.	MH 46H 1589	4	32	72
15.	HR-55X-1194 (SPLIT)	4	32	72
16.	HR-55X-1666 (SPLIT)	4	32	72

4. Vehicle and Load Configuration:- GVW of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be :-

Unladen Weight	Weight of Consignment	GVW of the axles required	Overall dimension of consignment (in MM) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
----------------	-----------------------	---------------------------	--	--

208 M. Tons	466.26 MT	674.26 MT	10225 x 5104 x 4841	16 +16 axles coupled with Goldhofer Girder bridge (equivalent to 32 axle rows in common parlance)
84 M. Tons	466.26 MT	550.26 MT	10225 x 5104 x 4841	1 + ½ axles in each row; 16 axle rows (equivalent to 24 axle rows in common parlance) will be coupled in 1 + ½ axle width (12 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that :-

- (i) The specific route for transportation of above consignment from BHEL Haridwar, Uttarakhand to Yadadri Project, Telengana is as under :-

Route No. 1 by Road as below –

BHEL - Haridwar - Roorkee - Muzaffarnagar - Meerut - Ghaziabad - Aligarh Bypass - Hathrus - Agra - Bharatpur - Jaipur - Kishangarh - Nasirabad - Bhilwara - Chittorgarh - Udaipur - Pindwara - Abu Road - Palanpur - Disa - Tharad - Suigam - Samkhiyali – Gandhidham - Mundra Port – 1603 Kms.

OR

Route No. 2 by Road as below –

BHEL - Haridwar - Roorkee - Muzaffarnagar - Meerut - Ghaziabad - Aligarh Bypass - Hathrus - Agra - Bharatpur - Jaipur - Kishangarh - Nasirabad - Bhilwara - Chittorgarh - Udaipur - Pindwara - Abu Road - Palanpur - Disa - Tharad - Suigam - Samkhiyali – Gandhidham - Kandla Port – 1681 Kms.

Route No. 3 by Sea as Below –

Mundra / Kandla port to Krishnapatnam, Port (Andhra Pradesh) by Ship or Barge,

Route No. 4 by Road as below –

Krishnapatnam port- Nellore- Ongole- Medarametla -Adanki -Nekarikallu- Piduguralla- Vadapalle- Damarcharla Nalgonda Telangana Yadadri TPS 327 Kms

- (ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.
- (iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- (iv) Coupling of the trailers along with length and side by side the width of the road will be permissible only for above movement.
- (v) M/s Agarwal's Carriers Corporation of India, Mumbai will give advance intimation at least ten days in advance to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.
- (vi) If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- (vii) M/s Agarwal's Carriers Corporation of India, Mumbai would need to obtain permission before movement, from the concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India enroot, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- (viii) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- (ix) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 kms/hour.
- (x) The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both

the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang.

- (xi) M/s Agarwal's Carriers Corporation of India, Mumbai would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- (xii) M/s Agarwal's Carriers Corporation of India, Mumbai will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xiii) Company will ensure that road tax have been paid, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movements.
- (xiv) In case, the width after sideway coupling of trailers exceeds the road width in certain stretches, by passes/other measures in consultation with States Authorities/National Highway Authority of India will be taken for movement of the above consignment.
- (xv) No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the State of Haryana and Maharashtra.
- (xvi) In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, M/s Agarwal's Carriers Corporation of India, Mumbai shall be responsibility for the same.
- (xvii) Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the M/s Agarwal's Carriers Corporation of India, Mumbai.

AMIT VARADAN, Jt. Secy.
[F. No. RT-11042/02/2021-MVL].